**न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा**

**पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008**

**जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1434/2026**

(CNR No. UPET010048232026)

अमित उर्फ दीपेश उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र कुवरपाल, निवासी ग्राम परतापपुर, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी। ----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

**मु0अ0सं0–46/2016**
**धारा–25 आयुध अधिनियम**
**थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।**

**18.08.2026**

आवेदक/अभियुक्त **अमित उर्फ दीपेश** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**46/2016** अन्तर्गत धारा–**25 आयुध अधिनियम,** थाना **कोतवाली देहात**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह पूर्व में जमानत पर था। आवेदक गरीब मजदूर व्यक्ति है तथा पेशे से ड्राइवर है। ड्राइवरी करने के लिये दिल्ली चला गया था, वहाँ मजदूरी न मिलने के कारण वापस न्यायालय नहीं आ सका, जिस कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध दिनांक 23.07.2025 को एन०बी०डब्लू० जारी कर दिये गये थे। उसके द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। आवेदक न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पर आता रहेगा और मुकदमा विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय के आदेश का पालने करेगा। आवेदक दिनांक 27–07–2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है तथा तर्क किया गया है कि आवेदक जानबूझकर न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ है, ताकि वाद की कार्यवाही अग्रसारित ना हो। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1190/2016 में पारित

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.08.18 14:42:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश दिनांकित 07.12.2016 द्वारा जमानत पर रिहा किया था, दौरान विचारण वह गैर हाजिर हो गया। आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह ड्राइवरी करने दिल्ली चला गया था, जिस कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका। प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में वह प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त **अमित उर्फ दीपेश** का जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

**उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।**

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानते व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

**(राकेश धर दुबे)**

दिनॉकः 18.08.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।